

नियम

अनुक्रमणिका

| | |
|---|----|
| प्रारंभिक एवं परिभाषाएँ | 3 |
| तख्ता | 7 |
| समितियों | 10 |
| सदस्यता समाशोधन | 11 |
| अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंड, निलंबन और निष्कासन | 23 |

अध्याय 1

प्रारंभिक एवं परिभाषाएँ**प्रारंभिक****छोटा शीर्षक**

इन नियमों को "नियम" या "एआरसीएल नियम" कहा जाएगा।

प्रतिभूति कानूनों की प्रयोज्यता

ये नियम प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों के अधीन होंगे।

1. कई। परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ए) "निदेशक मंडल" या "एआरसीएल का बोर्ड" का अर्थ है एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड का निदेशक मंडल;

(बी) "उपनियम" का अर्थ है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के वर्तमान में लागू उपनियम और समय-समय पर उनमें किए गए कोई भी संशोधन;

(सी) "क्लियरिंग बैंक" ऐसा बैंक है जिसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फंड निपटान एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से क्लियर किए गए सभी सौदों के लिए मार्जिन मनी के संग्रह और किसी भी अन्य फंड मूवमेंट के लिए है। समाशोधन सदस्य और समाशोधन निगम;

(डी) "क्लियरिंग कॉर्पोरेशन" का अर्थ एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है;

(ई) "क्लियरिंग सदस्य" का अर्थ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सदस्य होगा और इसमें क्लियरिंग सदस्यों की सभी श्रेणियां शामिल होंगी, जिन्हें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इस रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के शेयरधारक को नहीं दर्शाता है;

(एफ) "क्लीयरिंग सेगमेंट" का मतलब सौदों के समाशोधन और निपटान के लिए अलग-अलग सेगमेंट या डिवीजन हैं जिन्हें समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है;

(छ) "समिति" का अर्थ है प्रासंगिक प्राधिकारी और/या निदेशक मंडल द्वारा गठित एक समिति, जिसमें उसके स्वयं के सदस्य या अन्यथा शामिल हैं, और इसमें प्रबंध निदेशक द्वारा गठित एक समिति या बोर्ड की समिति द्वारा गठित एक समिति शामिल है। ऐसी किसी भी समिति के निदेशक और एक उप-समिति;

(ज) "सौदे" का अर्थ है, जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे, ऐसे लेनदेन के सौदे जो उप-कानूनों के तहत अनुमत हैं और जिन्हें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से मंजूरी और निपटान के लिए स्वीकार किया जाता है;

(i) "एक्सचेंज" का अर्थ एससीआरए के तहत स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है;

(जे) "प्रबंध निदेशक" का अर्थ एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड का प्रबंध निदेशक है;

(के) "विनियम" का अर्थ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के विनियम हैं और इसमें व्यावसायिक नियम, आचार संहिता, परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश शामिल होंगे, जो समय-समय पर, अन्य बातों के साथ, संचालन के लिए प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा जारी या निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। समाशोधन निगम;

(एल) "प्रासंगिक प्राधिकारी" का अर्थ एआरसीएल का बोर्ड होगा और इसमें प्रबंध निदेशक और एक समिति शामिल होगी;

(एम) "नियम" का अर्थ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कुछ समय के लिए लागू नियम हैं और इसमें समय-समय पर किए गए कोई भी संशोधन शामिल हैं;

(एन) "सेबी अधिनियम" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्या 15);

(ओ) "सेबी" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है;

(पी) "एससीआरए" का अर्थ है प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 42);

(क्यू) "एससीआरआर" का अर्थ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 है;

(आर) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो एससीआरए में दिया गया है;

(एस) "प्रतिभूति कानून" में एससीआरए, सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम और कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, परिपत्र, अधिसूचनाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार या सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर बनाए गए या जारी किए गए निर्देश, दिशानिर्देश;

(टी) "ट्रेडिंग सदस्य" का अर्थ किसी भी एक्सचेंज के किसी भी सेगमेंट का ट्रेडिंग सदस्य है;

(यू) अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग किया गया है लेकिन इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, एससीआरए, सेबी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के विनियमों और उप-कानूनों या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित हैं। ऐसे उप-कानूनों और विनियमों, अधिनियमों या नियमों या उसके तहत बनाए गए विनियमों या योजना या किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उन्हें क्रमशः वही अर्थ दिया जाएगा;

(वी) यदि किसी शब्द को उपरोक्त में से एक से अधिक में परिभाषित किया गया है, तो उसमें परिभाषित उसका अर्थ, जो यहां ऊपर उल्लिखित अन्य से पहले है, मान्य होगा, जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो;

(डब्ल्यू) शीर्षक किसी भी नियम के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे;

(एक्स) पुल्लिंग लिंग को आयात करने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग लिंग और इसके विपरीत और कंपनियों, निगमों, फर्मों आदि के मामले में तटस्थ लिंग शामिल होंगे, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो।

दूसरा अध्याय
निदेशक मंडल

1. एआरसीएल का बोर्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संचालन और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग सदस्यों की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करने, बनाए रखने, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन और सुविधा प्रदान करने के लिए सशक्त है।
2. एआरसीएल बोर्ड को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के व्यवसाय के संचालन, क्लियरिंग सदस्यों के व्यवसाय और लेनदेन, क्लियरिंग सदस्यों के बीच सभी या किसी भी मामले के लिए समय-समय पर नियम, उप-कानून और विनियम बनाने का अधिकार है। समाशोधन सदस्यों और व्यक्तियों के बीच व्यापार और लेन-देन जो समाशोधन सदस्य, प्रतिभागी नहीं हैं और ऐसे सभी लेन-देन और व्यवहार को नियंत्रित, परिभाषित और विनियमित करना और ऐसे कार्य और चीजें करना जो समाशोधन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं। निगम.
3. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एआरसीएल बोर्ड को निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए विनियम बनाने का अधिकार है:
 - (ए) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के व्यवसाय का संचालन;
 - (बी) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी उद्देश्य के लिए समिति या समितियों की नियुक्ति और विघटन;
 - (सी) एक्सचेंजों, संरक्षकों, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग बैंक के साथ संचालन और इंटरफेसिंग का तरीका;
 - (डी) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की सदस्यता में प्रवेश के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;
 - (ई) प्रतिभागियों के रूप में घटकों के पंजीकरण के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;
 - (एफ) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की क्लियरिंग सदस्यता में प्रवेश या सदस्यता के लिए शर्तें, शुल्क;
 - (छ) प्रतिभागियों के रूप में पंजीकरण या बने रहने के लिए प्रवेश या सदस्यता के लिए शर्तें, शुल्क;
 - (ज) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के व्यवसाय के संबंध में क्लियरिंग सदस्यों और प्रतिभागियों का आचरण;

- (i) समय-समय पर, पूंजी पर्याप्तता और अन्य मानदंडों का निर्धारण, जिन्हें क्लियरिंग सदस्यों और प्रतिभागियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक होगा;
- (जे) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से किए गए व्यवसाय के लिए क्लियरिंग सदस्यों और प्रतिभागियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले देय शुल्क;
- (के) समाशोधन सदस्यों और प्रतिभागियों द्वारा रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों का रखरखाव, जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (एल) समाशोधन सदस्यों और प्रतिभागियों की वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक आचरण और व्यवहार की जांच;
- (एम) समय-समय पर नुस्खे, और नियमों, उप-कानूनों और विनियमों और आचार संहिता की किसी भी आवश्यकता के उल्लंघन के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से क्लियरिंग सदस्यों के निलंबन/निष्कासन सहित दंड, जुर्माना और अन्य परिणामों का प्रशासन;
- (एन) समय-समय पर नुस्खे, और नियमों, उप-कानूनों और विनियमों और आचार संहिता की किसी भी आवश्यकता के उल्लंघन के लिए प्रतिभागियों के पंजीकरण के निलंबन/डी-पंजीकरण सहित दंड, जुर्माना और अन्य परिणामों का प्रशासन;
- (ओ) किसी भी समाशोधन सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई/प्रक्रियाएं;
- (पी) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के उपनियमों, नियमों और विनियमों या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सामान्य अनुशासन का अनुपालन न करने या उल्लंघन के लिए दंड, जिसमें क्लियरिंग सदस्यों का निष्कासन या निलंबन शामिल है;
- (क्यू) किसी क्लियरिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित करना या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की क्लियरिंग सदस्यता से निलंबन या इस्तीफा या निष्कासन और उसके परिणाम;
- (आर) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संबंध में ऐसे अन्य मामले जो एसोसिएशन के लेखों, उपनियमों या इन नियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं या जो संगठन, रखरखाव, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन और सुविधा के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संचालन के बारे में।
4. एआरसीएल के बोर्ड को समय-समय पर, किसी भी समिति या प्रबंध निदेशक या किसी व्यक्ति को, उनमें निहित शक्तियों को और ऐसी शर्तों पर सौंपने का अधिकार है, जैसा वे उचित समझ सकते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सभी या किसी भी मामले का प्रबंधन करना और समय-समय पर ऐसी सभी या किसी भी शक्ति को रद्द करना, वापस लेना, बदलना या बदलना।

5. एआरसीएल का बोर्ड, समय-समय पर, एक या अधिक समितियों का गठन कर सकता है जिसमें एआरसीएल के बोर्ड के सदस्य या ऐसे अन्य लोग शामिल होंगे जिन्हें एआरसीएल का बोर्ड अपने विवेक से उचित या आवश्यक समझे और ऐसी समितियों को ऐसी शक्तियां सौंप सकता है जैसे एआरसीएल का बोर्ड उचित समझे और एआरसीएल का बोर्ड समय-समय पर ऐसे प्रतिनिधिमंडल को रद्द कर सकता है।
6. एआरसीएल के बोर्ड के पास समय-समय पर किसी भी समिति या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा, जिन्हें एआरसीएल के बोर्ड द्वारा कोई शक्तियां सौंपी गई हैं। इस शक्ति के प्रयोग में जारी किए गए ऐसे निर्देश, जो नीतिगत प्रकृति के हो सकते हैं या किसी विशेष मामले या मुद्दे को निपटाने के निर्देश शामिल हो सकते हैं, संबंधित समिति (समितियों) या व्यक्ति (यों) पर बाध्यकारी होंगे।
7. एआरसीएल के बोर्ड को नियामक की पूर्व मंजूरी से, यदि कोई हो, उसके द्वारा बनाए गए उपनियमों और नियमों में बदलाव करने, संशोधन करने, निरस्त करने या जोड़ने का अधिकार है।
8. एआरसीएल के बोर्ड को उसके द्वारा बनाए गए विनियमों में बदलाव करने, संशोधन करने, निरस्त करने या जोड़ने का अधिकार है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना सेबी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर सेबी को दी जाएगी।
9. एआरसीएल के बोर्ड के सदस्य और ऐसी समितियों के सदस्य जिन्हें एआरसीएल के बोर्ड द्वारा पहचाना जा सकता है, नियामक द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

अध्याय - III

समितियों1. **संविधान**

क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के विभिन्न खंडों के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए निदेशक मंडल द्वारा एक या अधिक समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं। निदेशक मंडल समिति(समितियों) के गठन, अवधि और शक्तियों, समिति(ओं) से नामांकित व्यक्तियों के नामांकन और अवकाश और पदाधिकारियों की नियुक्ति और समिति(ओं) के कामकाज के नियमों और प्रक्रियाओं पर निर्णय ले सकता है। .

2. **समिति(ओं) की शक्तियाँ**

(ए) निदेशक मंडल समय-समय पर समाशोधन निगम के सभी या किसी भी मामले का प्रबंधन करने के लिए उनमें निहित शक्तियों को और ऐसी शर्तों पर, जो वे उचित समझे, समिति(यों) को सौंप सकते हैं। समय-समय पर ऐसी सभी या किसी भी शक्ति को रद्द करना, वापस लेना, बदलना या बदलना।

(बी) समिति समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को पूरा करने और लागू करने के लिए बाध्य और बाध्य होगी और समिति की शक्तियों पर प्रतिनिधि मंडल और सीमाओं की सभी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगी। एस) जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय - IV

समाशोधन सदस्यता1. **अनेक श्रेणियाँ**

क्लियरिंग सदस्य के अधिकार, विशेषाधिकार कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रतिभूति कानूनों, नियमों, उप-कानूनों और विनियमों के अधीन और उनके अनुसार होंगी। प्रासंगिक प्राधिकरण एक ही खंड के लिए या विभिन्न खंडों के लिए क्लियरिंग सदस्यों की एक से अधिक श्रेणियों को परिभाषित और स्वीकार कर सकता है और प्रत्येक प्रकार के क्लियरिंग सदस्यों के लिए पात्रता, प्रवेश और सदस्यता की समाप्ति सहित विभिन्न मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है।

2. **प्रवेश एवं शुल्क**

(ए) प्रासंगिक प्राधिकारी क्लियरिंग सदस्यों की विभिन्न श्रेणियों के लिए योग्यता, निवल मूल्य, बुनियादी ढांचे और अन्य प्रासंगिक मानदंडों के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकता है;

(बी) प्रासंगिक प्राधिकारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सभी या किसी भी सेगमेंट में क्लियरिंग सदस्यों के प्रवेश, समाप्ति, पुनः प्रवेश आदि के लिए आवेदन के लिए पूर्व-आवश्यकताएं, शर्तें, प्रारूप और प्रक्रियाएं निर्दिष्ट कर सकता है। प्रासंगिक प्राधिकारी, अपने पूर्ण विवेक पर, किसी भी आवेदक को सभी या किसी भी खंड में समाशोधन सदस्य के रूप में भर्ती होने की अनुमति देने से इंकार कर सकता है;

(सी) प्रासंगिक प्राधिकारी, समय-समय पर, प्रवेश के समय और बाद में अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान क्लियरिंग सदस्य द्वारा भुगतान या प्रावधान के लिए ऐसी फीस, शुल्क, सुरक्षा जमा, मार्जिन मनी, योगदान, संपार्श्विक प्रदान कर सकता है। सुरक्षा, जमानत, और अन्य राशियाँ जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

3. **पात्रता**

निम्नलिखित व्यक्ति क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग सदस्य बनने के पात्र होंगे:

- (ए) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(72) में परिभाषित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान;
- (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में कुछ समय के लिए शामिल एक बैंक;
- (सी) भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी के साथ भारत में परिचालन करने वाला एक विदेशी बैंक;
- (डी) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 3 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक राज्य वित्तीय निगम;
- (ई) वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगी एक संस्था, जिसे उप खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित संस्थानों में से किसी एक द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग प्रचारित किया जाता है;
- (एफ) प्रतिभूतियों का संरक्षक जिसे सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1ए) के तहत बोर्ड द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- (जी) किसी एक्सचेंज का ट्रेडिंग सदस्य;
- (ज) कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के तहत परिभाषित एक कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय;
- (i) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के तहत गठित और पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी;
- (जे) म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी; और
- (के) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और/या सेबी द्वारा अनुमति प्राप्त कोई अन्य इकाई।

बशर्ते कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्लियरिंग सदस्य बनने के लिए पात्र कोई भी इकाई भारतीय रिजर्व बैंक के लागू निर्देशों के तहत रेपो लेनदेन में भाग लेने के लिए पात्र होगी।

4. प्रवेश के लिए पूर्व शर्तें

(ए) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसी व्यक्ति को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति:

(i) प्रतिभूति कानूनों के तहत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्लियरिंग सदस्य बनने के लिए अयोग्य नहीं है;

(ii) प्रतिभूति कानूनों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है; हालाँकि, निम्नलिखित व्यक्ति समाशोधन निगमों के समाशोधन सदस्य बनने के हकदार नहीं होंगे; अगर यह:

(ए) ऋणों की पूर्ण अदायगी से कम के लिए अपने लेनदारों के साथ समझौता किया है;

(बी) धोखाधड़ी या बेईमानी से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(सी) क्या एक निकाय कॉर्पोरेट है जिसने कोई ऐसा कार्य किया है जो उसे कानून के प्रावधानों के तहत दिवालियापन या परिसमापन या समापन के लिए उत्तरदायी बनाता है;

(डी) एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसके संबंध में एक अनंतिम परिसमापक या रिसीवर या आधिकारिक परिसमापक या अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया है;

(ई) किसी एक्सचेंज, डिपॉजिटरी या अन्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किसी भी समय निष्कासित या डिफॉल्टर घोषित किया गया हो, या;

(एफ) पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की क्लियरिंग सदस्यता में प्रवेश से इनकार कर दिया गया है जब तक कि अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो;

(छ) समय-समय पर नियामक द्वारा निर्धारित उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है;

बशर्ते ऐसी इकाई को लागू कानून के तहत रेपो लेनदेन में लेनदेन करने की अनुमति हो।

5. अतिरिक्त पात्रता मानदंड

प्रासंगिक प्राधिकारी, उपरोक्त के अलावा, समय-समय पर, क्लियरिंग सदस्यों और क्लियरिंग खंडों के विभिन्न वर्गों के लिए, प्रवेश के लिए पात्रता के लिए, या क्लियरिंग सदस्यता को बनाए रखने के लिए अन्य मानदंड निर्धारित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की क्लियरिंग सदस्यता में शामिल होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति ऐसे अतिरिक्त पात्रता मानदंडों को भी पूरा नहीं करता हो।

हालाँकि, बशर्ते कि प्रासंगिक प्राधिकारी किसी या सभी प्रवेश शर्तों के अनुपालन को छोड़ सकता है और अपने विवेक पर आवश्यकता को छोड़ सकता है

6. प्रवेश

(ए) क्लियरिंग सदस्य बनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संबंधित खंड की क्लियरिंग सदस्यता में प्रवेश के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में आवेदन करेगा। प्रत्येक आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जो अपने विवेक से ऐसे आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का हकदार होगा।

(बी) प्रत्येक खंड में समाशोधन सदस्यों के प्रवेश के लिए आवेदन ऐसे प्रारूपों में किया जाएगा जो समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(सी) आवेदन को ऐसी फीस, सुरक्षा जमा और अन्य धनराशि के साथ ऐसे फॉर्म में और ऐसे तरीके से जमा करना होगा जो समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(डी) आवेदक ऐसी घोषणाएं, उपक्रम, प्रमाण पत्र, पुष्टिकरण और ऐसे अन्य दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत करेगा जो प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(ई) प्रासंगिक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक को ऐसी फीस का भुगतान करने या नकद या वस्तु के रूप में ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा जमा करने, निपटान गारंटी निधि और किसी भी अन्य निधि में जमा करने या योगदान देने के लिए कह सके, जिसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा समय-समय पर बनाए रखा जा सकता है। समय-समय पर, कोई अतिरिक्त गारंटी देने या प्रशिक्षण या शुल्क के लिए स्थापित निधि में योगदान की

आवश्यकता के लिए, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

(एफ) प्रासंगिक प्राधिकारी आवेदक को क्लियरिंग सदस्यता के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि आवेदक प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन पात्रता शर्तों और आवेदन की अन्य प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को पूरा करता हो। प्रासंगिक प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर कि क्लियरिंग सदस्यता के लिए अन्य सभी नियम और शर्तें और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, आवेदक को क्लियरिंग सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है। अनंतिम सदस्यता का अनुदान आवेदक को क्लियरिंग सदस्यता के किसी भी विशेषाधिकार और अधिकार का हकदार नहीं बनाएगा।

(छ) प्रासंगिक प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक से प्रवेश के लिए किसी भी आवेदन को कारण बताकर अस्वीकार कर सकता है।

(ज) यदि किसी भी कारण से आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो आवेदन शुल्क या प्रवेश शुल्क, यदि कोई हो, या उसका कोई हिस्सा, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी अपने विवेक से तय कर सकता है, को प्रासंगिक तरीके से निपटाया जा सकता है। प्राधिकारी उचित समझे.

(i) आवेदक आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ एआरसीएल बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। एआरसीएल का बोर्ड आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(जे) प्रासंगिक प्राधिकारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की क्लियरिंग सदस्यता में प्रवेश की तारीख से किसी भी समय प्रवेश को रद्द कर सकता है और किसी क्लियरिंग सदस्य को निष्कासित कर सकता है यदि उसने सदस्यता में प्रवेश के लिए आवेदन के समय या उसके दौरान प्रवेश किया हो। इसकी स्वीकृति से पहले प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा की गई पूछताछ का क्रम:-

(i) जानबूझकर कोई गलत बयानी की गई; या

(ii) उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में उससे अपेक्षित किसी भी भौतिक जानकारी को छुपाया गया; या

(iii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गलत विवरण या जानकारी दी है या झूठी घोषणा की है।

7. समाशोधन सदस्यता का स्थानांतरण

(ए) यहां उल्लिखित के अलावा क्लियरिंग सदस्यता हस्तांतरणीय या संचारणीय नहीं होगी। पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक क्लियरिंग सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार या उससे जुड़े किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार को न तो सौंपेगा, न गिरवी रखेगा, गिरवी रखेगा, न ही गिरवी रखेगा या चार्ज नहीं करेगा और न ही उसे लाइसेंस देने या संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी देने का अधिकार होगा। ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों का और इस तरह का कोई भी प्रयास किया गया असाइनमेंट, बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक या शुल्क या लाइसेंस या पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी उद्देश्य के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रभावी नहीं होगी, न ही व्यक्तिगत के अलावा किसी भी क्लियरिंग सदस्यता में कोई अधिकार या हित नहीं होगा। क्लियरिंग सदस्य के अधिकार या हित को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता दी जाएगी। प्रासंगिक प्राधिकारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी क्लियरिंग सदस्य को निलंबित कर सकता है जो इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है या कार्य करने का प्रयास करता है या कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(बी) प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों और अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, क्लियरिंग सदस्यता को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की पूर्व लिखित मंजूरी के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है:

- (i) क्लियरिंग सदस्य का किसी अन्य कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के साथ विलय या समामेलन;
- (ii) किसी क्लियरिंग सदस्य की प्रबंधन में बहुमत हिस्सेदारी या नियंत्रण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान की स्थिति में, ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (iii) क्लियरिंग सदस्य में एक नए साझेदार या साझेदारों को शामिल करना, चाहे वह किसी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर हो या फर्म के पुनर्गठन पर हो, जिससे नया साझेदार (मृत साझेदार का उत्तराधिकारी या विरासती नहीं) किसी अन्य के साथ मिलकर साझेदार ;

- (iv) क्लियरिंग सदस्य कंपनी से क्लियरिंग सदस्यता का पृथक्करण;
- (v) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा क्लियरिंग सदस्य कंपनी का अधिग्रहण, जो क्लियरिंग सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी;
- (vi) क्लियरिंग सदस्य की प्रबंधन में मौजूदा हिस्सेदारी या नियंत्रण को कम करके;
- (vii) दो या दो से अधिक क्लियरिंग सदस्यों के एक साथ आकर एक नई क्लियरिंग सदस्य इकाई बनाना;
- (viii) किसी क्लियरिंग सदस्य की क्लियरिंग सदस्यता को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करके।

स्पष्टीकरण:

उपरोक्त खंड 7(बी) के प्रयोजन के लिए, "क्लियरिंग सदस्यता का स्थानांतरण" का अर्थ है क्लियरिंग सदस्य से क्लियरिंग सदस्य बनने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को क्लियरिंग सदस्यता का हस्तांतरण और इसमें, जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो, स्थिति या संविधान में परिवर्तन भी शामिल है। समामेलन, विलय, डी-मर्जर, अधिग्रहण या क्लियरिंग सदस्य के प्रबंधन में होल्डिंग या नियंत्रण की हानि या क्लियरिंग सदस्य के प्रबंधन में होल्डिंग या नियंत्रण को इस तरह से और ऐसी सीमा तक कमजोर करना जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट हो।

(सी) इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन उपरोक्त (बी) (ii) के अधीन, समामेलन, विलय, डी-मर्जर या अधिग्रहण या क्लियरिंग सदस्य के प्रबंधन में होल्डिंग या नियंत्रण की हानि से उत्पन्न होने वाली स्थिति या संविधान में परिवर्तन या प्रबंधन में मौजूदा हिस्सेदारी या नियंत्रण को कम करना या किसी अन्य व्यक्ति को समाशोधन सदस्यता का हस्तांतरण इन नियमों के प्रयोजन के लिए स्थानांतरण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप प्रबंधन में बहुमत और / या नियंत्रण का नुकसान न हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समाशोधन सदस्य ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(डी) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्थानांतरण की अनुमति देते समय, ऐसी शर्तें निर्दिष्ट कर सकता है जो वह उचित समझे, जिसमें स्थानांतरण शुल्क, जमा, पिछले बकाया या अन्य निधियों का भुगतान, निवेशकों की शिकायतों का निपटान और मध्यस्थता पुरस्कारों का कार्यान्वयन, संविधान और संरचना शामिल है। समाशोधन सदस्यता लेने वाला व्यक्ति।

(इ) इन नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समाशोधन सदस्य या समाशोधन भागीदार पर समाशोधन सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है या समाशोधन सुविधा को वापस लिया जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है, ऐसी अवधि के लिए जो प्रासंगिक प्राधिकारी उचित समझे। सदस्य, जिसका फर्म में ऐसा हित हो जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, या एक क्लियरिंग सदस्य कंपनी का शेयरधारक, जिसके पास कंपनी में ऐसी हिस्सेदारी है जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में, शारीरिक या मानसिक विकलांगता या दुर्बलता या निरंतर अनुपलब्धता या विघटन या प्रबंधन में गतिरोध के कारण अपना व्यवसाय चलाने में असमर्थ।

स्पष्टीकरण:

उपरोक्त खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंधन में गतिरोध" शब्द का अर्थ ऐसी स्थिति है जिसमें क्लियरिंग सदस्य फर्म के भागीदारों या क्लियरिंग सदस्य कंपनी के निदेशकों या शेयरधारकों के बीच विश्वास की हानि या असहमति होती है। जो प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में, जैसा भी मामला हो, क्लियरिंग सदस्य फर्म या क्लियरिंग सदस्य कंपनी द्वारा व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करेगा या प्रभावित करने की संभावना है, या निदेशकों या शेयरधारकों की बैठक में वोट की समानता को प्रभावित करेगा। एक क्लियरिंग सदस्य कंपनी का।

8. समाशोधन सदस्यता अधिकारों का निलंबन।

नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित परिस्थितियों में, समाशोधन सदस्य के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है, जितनी प्रासंगिक प्राधिकारी उचित समझे:

(ए) क्लियरिंग सदस्य द्वारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भुगतान की जाने वाली आवश्यक फीस, मार्जिन, जमा का भुगतान नहीं करने की स्थिति में;

(बी) क्लियरिंग सदस्य द्वारा इन नियमों, उपनियमों या विनियमों के किसी भी उल्लंघन या चूक की स्थिति में;

(सी) किसी अदालत, न्यायाधिकरण, मंच या किसी अन्य प्राधिकरण की स्थिति में, जो उस संबंध में विधिवत अधिकृत है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ऐसा करने का आदेश और निर्देश दे रहा है;

(डी) किसी अनंतिम परिसमापक या प्रशासक या समाधान पेशेवर की नियुक्ति या समाशोधन सदस्य के खिलाफ याचिका स्वीकार किए जाने की स्थिति में;

(ई) किसी भी परिस्थिति में जिसमें प्रासंगिक प्राधिकारी प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों के हित में क्लियरिंग सदस्य के संचालन को निलंबित करना आवश्यक समझ सकता है;

संबंधित प्राधिकारी द्वारा समाशोधन सदस्य के निलंबन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले, समाशोधन सदस्य प्रासंगिक प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने का अवसर पाने का हकदार होगा।

9. शर्तें

(ए) क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नियमों, उप-कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे और संबंधित प्राधिकारी के ऐसे परिचालन मापदंडों, फैसलों, नोटिस, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेंगे जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। समय - समय पर।

(बी) स्वीकृत सौदों के लिए जारी किए गए सभी अनुबंध क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार और उनके अधीन होंगे।

(सी) समाशोधन सदस्य ऐसे मामलों से संबंधित घोषणाएं, उपक्रम, पुष्टिकरण और ऐसे अन्य दस्तावेज और कागजात प्रस्तुत करेंगे और समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(डी) क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ऐसी ऑडिटेड और/या अनऑडिटेड वित्तीय या गुणात्मक जानकारी और विवरण और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेंगे जैसा कि समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो सकता है।

(ई) क्लियरिंग सदस्य ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे जो क्लियरिंग सदस्यों के रूप में उनकी गतिविधियों के संबंध में विज्ञापनों, पुस्तिकाओं और परिपत्र जारी करने के संबंध में समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(एफ) क्लियरिंग सदस्य पूर्ण सहयोग देंगे और ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे और इस तरह से निरीक्षण या ऑडिट के लिए या किसी भी लेनदेन, निपटान, लेखांकन और / के संबंध में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रासंगिक प्राधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। या अन्य संबंधित मामले.

10. समाशोधन सदस्यता की अनिवार्य समाप्ति

इन नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इकाई का पुनर्गठन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अनुमत अवधि के भीतर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा क्लियरिंग सदस्यता अनिवार्य रूप से समाप्त की जा सकती है।

11. समाशोधन सदस्यता की समाप्ति

(ए) निम्नलिखित में से कोई भी लागू होने पर क्लियरिंग सदस्य की क्लियरिंग सदस्यता समाप्त हो सकती है:

- (i) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, क्लियरिंग सदस्यता का समर्पण करके;
- (ii) दिवालियेपन द्वारा;
- (iii) विघटन द्वारा;
- (iv) परिसमापन द्वारा;
- (v) निष्कासन द्वारा;
- (vi) डिफॉल्टर घोषित किये जाने से;
- (vii) जारी प्रवेश मानदंडों को पूरा करने में क्लियरिंग सदस्य की असमर्थता या विफलता के मामले में क्लियरिंग सदस्यता की अनिवार्य समाप्ति या नियम 11 में उल्लिखित इकाई का पुनर्गठन नहीं होता है;
- (viii) स्टॉक ब्रोकर या क्लियरिंग सदस्य के रूप में सेबी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करके।

(ix) किसी भी प्रतिभूति कानून के उल्लंघन से जो सदस्यता अधिकार की समाप्ति का वारंट देता है।

(बी) क्लियरिंग सदस्य की क्लीयरिंग सदस्यता समाप्त होने पर, क्लीयरिंग सदस्यता समाप्त हो जाती है, बशर्ते कि व्यक्ति के क्लीयरिंग सदस्य रहने के दौरान किए गए सभी दायित्व और देनदारियां जारी रहेंगी।

(सी) इन नियमों के तहत क्लियरिंग सदस्य के क्लियरिंग अधिकारों या अन्य सुविधाओं पर निलंबन, वापसी या प्रतिबंध सहित कोई अन्य कार्रवाई करने के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अनिवार्य रूप से क्लियरिंग सदस्य की क्लियरिंग सदस्यता समाप्त कर सकता है। , यदि ऐसा क्लियरिंग सदस्य समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट निरंतर प्रवेश की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है।

12. पुनः प्रवेश

(ए) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने विवेक से, डिफॉल्टर घोषित किए गए क्लियरिंग सदस्य या ऐसे व्यक्ति को, जिसकी क्लियरिंग सदस्यता अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी गई है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन क्लियरिंग सदस्य के रूप में फिर से प्रवेश दे सकता है। हालाँकि, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन उप-कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित किसी भी दायित्व या निरंतरता प्रवेश मानदंडों को पूरा करने में वित्तीय असमर्थता के अलावा उसके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण निष्कासित क्लीयरिंग सदस्य को दोबारा प्रवेश नहीं देगा।

(बी) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अपने विवेक पर, केवल ऐसे डिफॉल्टर या ऐसे व्यक्ति को फिर से प्रवेश दे सकता है, जिसकी क्लियरिंग सदस्यता अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी गई है और जो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की राय में:

- (i) ने सेबी और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को सभी बकाया, स्पष्ट या स्वीकृत, का भुगतान कर दिया है;
- (ii) अन्य क्लियरिंग सदस्यों, ग्राहकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, सभी बकाया राशि, स्पष्ट या स्वीकृत, का भुगतान कर दिया है;

- (iii) उसके या उसके खिलाफ कोई दिवाला या विघटन, दिवालियापन या परिसमापन की कार्यवाही लंबित नहीं है;
- (iv) उन ग्राहकों की चूक के कारण चूक हुई है जिनसे उसने अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए उचित रूप से अच्छा होने की उम्मीद की होगी;
- (v) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नियमों, उपनियमों और विनियमों के भौतिक उल्लंघन का दोषी नहीं रहा है;
- (vi) अपने सामान्य आचरण में दोषारोपण योग्य नहीं रहा है;
- (vii) क्लियरिंग सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

अध्याय - V

अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंड, निलंबन और निष्कासन

1. अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार

(ए) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसी भी क्लियरिंग सदस्य को निष्कासित या निलंबित या निंदा या चेतावनी या फटकार लगा सकता है या किसी क्लियरिंग सदस्य पर जुर्माना या जुर्माना लगा सकता है, या उसके सभी या किसी भी क्लियरिंग सदस्यता अधिकार या सुविधाओं को वापस ले सकता है या प्रतिबंधित कर सकता है, यदि वह दोषी पाया जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी नियम, उपनियम और विनियम या प्रासंगिक प्राधिकारी या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के परिपत्र, आदेश, नोटिस, निर्देश, निर्णय या निर्णयों या किसी भी आचरण का उल्लंघन, गैर-अनुपालन, अवज्ञा, अवहेलना या चोरी, व्यवसाय की कार्यवाही या पद्धति जिसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने पूर्ण विवेक से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग सदस्य के लिए अपमानजनक, अपमानजनक या अशोभनीय मानता है या व्यापार के उचित और न्यायसंगत सिद्धांतों के साथ असंगत है या हितों, अच्छे नाम या कल्याण के लिए हानिकारक है। निगम या उसके उद्देश्यों और उद्देश्यों के प्रति पूर्वाग्रही या विध्वंसक।

(बी) कदाचार, गैर-व्यावसायिक आचरण और गैर-पेशेवर आचरण के लिए जुर्माना। विशेष रूप से और किसी भी तरह से उपरोक्त खंड (ए) में प्रावधानों की व्यापकता को सीमित या पूर्वाग्रहित किए बिना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसी भी क्लियरिंग सदस्य को निष्कासित या निलंबित, निंदा, चेतावनी, फटकार लगा सकता है या किसी भी क्लियरिंग सदस्य पर जुर्माना या जुर्माना लगा सकता है या वापस ले सकता है या यहां और प्रतिभूति कानूनों में निहित प्रावधानों के अर्थ में किसी भी कदाचार, गैर-व्यावसायिक आचरण या गैर-पेशेवर आचरण के लिए सभी या किसी भी समाशोधन सदस्यता अधिकारों या सुविधाओं को प्रतिबंधित करें।

(सी) कदाचार: एक समाशोधन सदस्य को निम्नलिखित या समान कार्यों या चूक में से किसी के लिए कदाचार का दोषी माना जाएगा:

(i) धोखाधड़ी: यदि इसे किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या यदि इसने धोखाधड़ी या कपटपूर्ण कार्य किया है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की राय में इसे क्लियरिंग सदस्य बनने के लिए अयोग्य बनाता है;

- (ii) प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन: यदि इसने प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों, क्लियरिंग सदस्यों के लिए आचार संहिता, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए गए निर्देशों, आदेशों, दिशानिर्देशों, नोटिस या परिपत्रों का उल्लंघन या उल्लंघन किया है जो गतिविधियों, व्यवसाय और संचालन को नियंत्रित करते हैं। विशेष रूप से समाशोधन निगम, और सामान्य रूप से प्रतिभूति व्यवसाय;
- (iii) नियमों, उप-कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उकसाना: यदि यह किसी ऐसे क्लियरिंग सदस्य को उकसाता है या बचाता है या सहायता करता है या रिपोर्ट करने से चूकता है, जिसके बारे में उसे पता है कि उसने किसी नियम, उप-कानून और विनियमों का उल्लंघन या चोरी की है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का परिपत्र, आदेश, नोटिस, निर्देश, निर्णय या निर्णय;
- (iv) अनुपालन में विफलता: यदि यह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और प्रासंगिक प्राधिकारी के किसी परिपत्र, आदेश, नोटिस, निर्देश, निर्णय या निर्णय का उल्लंघन करता है या इनकार करता है या अनुपालन करने में विफल रहता है, जिसमें जानकारी प्रस्तुत न करना या गलत जानकारी प्रदान करना शामिल है उचित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत न करना;

(डी) अनुचित आचरण: यदि प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में, यह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर अपमानजनक या अपमानजनक या अव्यवस्थित या अनुचित आचरण का दोषी है या जानबूझकर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के व्यवसाय में बाधा डालने का दोषी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) मध्यस्थता को प्रस्तुत करने या उसका पालन करने में विफलता: यदि यह मध्यस्थता के तहत एक संदर्भ के संबंध में किए गए मध्यस्थों के किसी भी पुरस्कार, निर्णय या आदेश का पालन करने या पालन करने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या इनकार करता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नियम, उपनियम और विनियम;
- (ii) गवाही देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता: यदि वह प्रासंगिक प्राधिकारी को उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी किताबें, पत्राचार, दस्तावेज, डेटा और कागजात या उसके किसी भी हिस्से को प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या इनकार करता है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है। संबंधित प्राधिकारी या ऐसी समिति या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी या उस ओर से अधिकृत अन्य व्यक्ति के समक्ष अपने किसी भागीदार,

वकील, प्रतिनिधि या कर्मचारी को प्रस्तुत करना या उसके समक्ष उपस्थित होना और गवाही देना या उसके समक्ष उपस्थित होना और गवाही देना;

(iii) जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता: यदि यह निर्दिष्ट समय के भीतर संबंधित प्राधिकारी को प्रासंगिक रिटर्न, सूचना, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, घोषणाएं, लेखापरीक्षित या गैर-लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या इनकार करता है। जब भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में यह वांछनीय बनाती हैं कि ऐसी विशेष रिटर्न या जानकारी किसी या सभी समाशोधन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए, प्राधिकरण ऐसी अन्य जानकारी के साथ निर्दिष्ट कर सकता है जिसकी प्रासंगिक प्राधिकारी को आवश्यकता हो सकती है;

(iv) गलत या भ्रामक प्रस्तुतियाँ: यदि यह प्रासंगिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोई गलत या भ्रामक या अपूर्ण रिटर्न, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, घोषणा, लेखापरीक्षित या गैर-लेखापरीक्षित खाते प्रस्तुत करता है या उसमें कोई गलत या भ्रामक बयान देता है;

(v) कष्टप्रद शिकायतें: यदि यह प्रासंगिक प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत लाता है, जो राय में है

(vi) देय राशि और शुल्क का भुगतान करने में विफलता: यदि यह निर्दिष्ट समय के भीतर सदस्यता शुल्क, शुल्क, लेवी, वसूली, जमा, मध्यस्थता शुल्क या किसी अन्य धन का भुगतान करने में विफल रहता है जो उस पर लगाया जा सकता है या कोई जुर्माना या जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा;

(vii) असहयोग और धमकी: यदि यह प्रासंगिक प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या इनकार करता है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों या प्रतिनिधियों को धमकी देता है या कोई नुकसान पहुंचाता है या क्लियरिंग में बाधा डालता है निगम या उसके कर्मचारी या प्रतिनिधि कर्तव्यों के पालन में विफल रहते हैं या उपेक्षा करते हैं या अपने परिसर, रिकॉर्ड, कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रणालियों और दूरसंचार प्रणालियों तक पहुंच की अनुमति देने से इनकार करते हैं।

(viii) गलत या भ्रामक रिटर्न: यदि यह उप-कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जमा करने के लिए आवश्यक अपने क्लियरिंग फॉर्म या रिटर्न में कोई गलत या भ्रामक बयान देने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या जमा करने से इनकार करता है;

(इ) गैर-व्यावसायिक आचरण: एक क्लियरिंग सदस्य को गैर-व्यावसायिक आचरण का दोषी माना जाएगा यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित परिस्थितियों में गैर-व्यावसायिक तरीके से कार्य करता है या कार्य करने से चूक जाता है:

(i) काल्पनिक नाम: यदि यह अपना स्वयं का व्यवसाय या अपने ग्राहकों का व्यवसाय फर्जी नामों से करता है या यदि यह फर्जी नामों के तहत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर व्यवसाय करता है;

(ii) फर्जी लेनदेन: यदि यह प्रतिभूतियों में लेनदेन का फर्जी लेनदेन करता है;

(iii) अफवाहों का प्रसार: यदि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से, कोई अफवाह फैलाता है या प्रसारित करने का कारण बनता है;

(iv) पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवसाय: यदि यह किसी भी खरीद या बिक्री या प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के प्रस्तावों के लिए किसी भी योजना या योजना को बनाने में एक पार्टी है या ऐसी जानकारी के साथ इसे पूरा करने में एक पार्टी है या सहायता करती है। बाजार के संतुलन को बिगाड़ना या ऐसी स्थिति लाना जिसमें कीमतें बाजार मूल्यों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेंगी;

(v) बाजार में हेरफेर और मूल्य हेराफेरी: यदि यह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ, ऐसी सुरक्षा में वास्तविक या स्पष्ट सक्रिय समाशोधन बनाने या ऐसी सुरक्षा की कीमतों को बढ़ाने या घटाने के लिए किसी भी सुरक्षा में लेनदेन की श्रृंखला को प्रभावित करता है। ऐसी सुरक्षा की खरीद या बिक्री को दूसरों द्वारा या इसके लाभ के लिए या किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य;

(vi) भ्रामक लेनदेन: यदि यह बाजार या किसी सुरक्षा की कीमत के संबंध में गलत या भ्रामक उपस्थिति पैदा करने के इरादे से प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए आदेश देता है या किसी सुरक्षा की खरीद या बिक्री के लिए कोई आदेश दर्ज करता है इस जानकारी के साथ कि ऐसी सुरक्षा की बिक्री या खरीद के लिए काफी हद तक एक ही आकार, मूल्य और समय पर एक ऑर्डर एक ही या अलग-अलग पार्टियों द्वारा या उनके लिए दर्ज किया गया है या दर्ज किया जाएगा या काफी हद तक एक ही आकार की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए ऑर्डर दिया गया है, ऐसी सुरक्षा की बिक्री और खरीद के लिए मूल्य और समय;

(vii) अनुचित व्यवसाय: यदि यह बाजार में लापरवाह या अनुचित या गैर-व्यावसायिक लेनदेन में संलग्न है या अपने ग्राहक के खाते या किसी भी खाते

के लिए खरीदारी या बिक्री को प्रभावित करता है, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता है, और यदि ऐसी खरीदारी होती है या बिक्री उसके ग्राहक या उसके स्वयं के साधनों और वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए या ऐसी सुरक्षा के लिए बाजार को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक है;

(viii) ग्राहकों के लिए लेनदेन करने में विफलता: यदि यह पर्याप्त कारण के बिना अपने ग्राहकों के लिए लेनदेन करने में विफल रहता है;

(ix) अधिकारों और विशेषाधिकारों से अलग होना: यदि यह सदस्यता समाप्त करने के अपने अधिकार या उससे जुड़े किसी भी अन्य अधिकार या विशेषाधिकार को गिरवी रखता है, गिरवी रखता है या वसूलता है या सदस्यता समाप्त करने के अपने अधिकार या किसी अन्य अधिकार को सौंपने, गिरवी रखता है, गिरवी रखता है या वसूलने का प्रयास करता है। या उससे जुड़े विशेषाधिकार।

(एफ) गैर-पेशेवर आचरण: एक समाशोधन सदस्य को निम्नलिखित या समान कार्यों या चूक में से किसी के लिए गैर-पेशेवर आचरण का दोषी माना जाएगा:

(i) प्रतिभूतियों में व्यवसाय जिसमें लेनदेन की अनुमति नहीं है: यदि यह उन सौदों और प्रतिभूतियों का निपटान कर रहा है जिनमें लेनदेन की अनुमति नहीं है;

(ii) चूककर्ता ग्राहक के लिए व्यवसाय: यदि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय करता है या किसी ऐसे ग्राहक के लिए ऑर्डर निष्पादित करता है जो उसकी जानकारी में प्रतिभूतियों के लेनदेन से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है और किसी अन्य क्लियरिंग सदस्य के प्रति चूककर्ता है, जब तक कि ऐसे ग्राहक ने ऐसा नहीं किया हो। समाशोधन सदस्य, जो इसका ऋणदाता है, के साथ एक संतोषजनक व्यवस्था;

(iii) दिवालिया के लिए व्यवसाय: यदि, पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की सहमति प्राप्त किए बिना, खुद को व्यवसाय में शामिल करता है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या उसके लिए कोई व्यवसाय करता है जो दिवालिया या दिवालिया हो गया है, भले ही ऐसे व्यक्ति ने किसी से अंतिम मुक्ति प्राप्त कर ली हो। सक्षम अदालत;

(iv) निलंबन के दौरान अनुमति के बिना व्यापार: यदि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की अनुमति के बिना, वह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निलंबित अवधि के दौरान अपने स्वयं के खाते पर या किसी प्रिंसिपल के खाते पर क्लियरिंग सदस्य के साथ या उसके माध्यम से व्यापार करता है;

- (v) निलंबित, निष्कासित और डिफॉल्टर क्लियरिंग सदस्यों/ट्रेडिंग सदस्यों के लिए या उनके साथ व्यापार: यदि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की अनुमति के बिना, यह किसी ऐसे क्लियरिंग सदस्य/ट्रेडिंग सदस्य के साथ व्यवहार करता है जिसे निलंबित, निष्कासित या डिफॉल्टर घोषित किया गया है;
- (vi) अन्य क्लियरिंग सदस्यों के कर्मचारियों के लिए व्यवसाय: यदि यह ऐसे नियोजित क्लियरिंग सदस्य की लिखित सहमति के बिना किसी अन्य क्लियरिंग सदस्य के कर्मचारी के लिए या उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय करता है;
- (vii) विज्ञापन: यदि यह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विज्ञापन करता है या अपने ग्राहकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को नियमित रूप से परिपत्र या अन्य व्यावसायिक संचार जारी करता है, या विज्ञापन के उल्लंघन में शेयर बाजारों से संबंधित पर्चे, परिपत्र या कोई अन्य साहित्य या रिपोर्ट या जानकारी प्रकाशित करता है। कोड जैसा कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (viii) मार्जिन आवश्यकताओं की चोरी: यदि यह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट मार्जिन आवश्यकताओं से बचता है या बचने का प्रयास करता है या चोरी करने में सहायता करता है;
- (ix) प्रतिभूति बाजार में खरीदने या बेचने या सौदा करने के लिए निषिद्ध व्यक्तियों के साथ लेनदेन: यदि यह अपने व्यवसाय के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या उसके लिए कोई व्यवसाय करता है, जिसे खरीदने के लिए सेबी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। या प्रतिभूति बाजार में बेचना या सौदा करना;
- (x) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बाहर क्लियरिंग: यदि यह कॉर्पोरेशन की क्लियरिंग प्रणाली के बाहर लेनदेन करता है, जब तक कि अन्यथा अनुमति न हो।

2. **इसके/इसके साझेदारों और कर्मचारियों के कृत्यों के लिए सदस्य की जिम्मेदारी को साफ़ करना**

एक क्लियरिंग सदस्य अपने वकीलों, प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और क्लियरिंग सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के कृत्यों या चूक के लिए जिम्मेदार होगा और उसके लिए उसी सीमा तक उसी दंड के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या चूक हुई हो। अपने आप किया गया या छोड़ा गया।

3. समाशोधन सदस्यों और अन्य लोगों को गवाही देना और जानकारी देना

एक क्लियरिंग सदस्य अपने साझेदारों, वकीलों, प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के समक्ष उपस्थित होकर गवाही देगा और ऐसी पुस्तकों, पत्राचार, दस्तावेजों, कागजात और रिकॉर्ड या किसी भी हिस्से को उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा या पेश कराएगा। जो उसके कब्जे में हो सकता है और जिसे पूछताछ या जांच या कार्यवाही के तहत किसी भी मामले के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

4. कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए अनुमति आवश्यक

किसी भी व्यक्ति को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के समक्ष किसी भी जांच या पूछताछ या कार्यवाही या सुनवाई में वकील, वकील, वकील या अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अनुमति न दे।

5. अस्थायी निलंबन

(ए) यदि प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में ऐसा करना आवश्यक है, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इस अध्याय के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक क्लियरिंग सदस्य को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, और ऐसे अस्थायी निलंबन के लिए किसी सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे अस्थायी निलंबन के परिणाम इस अध्याय के तहत निलंबन के समान होंगे।

(बी) ऐसे अस्थायी निलंबन की उचित अवधि के भीतर क्लियरिंग सदस्य को कारण बताने का नोटिस जारी किया जाएगा।

(सी) ऐसे किसी भी अस्थायी निलंबन को संबंधित प्राधिकारी के विवेक पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से रद्द किया जा सकता है, यदि संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट है कि जिन परिस्थितियों के कारण अस्थायी निलंबन को लागू करने के लिए प्रासंगिक प्राधिकारी की राय बनी है, अस्तित्व समाप्त हो गया है या संतोषजनक ढंग से हल हो गया है।

(डी) अस्थायी निलंबन से व्यथित एक समाशोधन सदस्य ऐसे अस्थायी निलंबन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर निदेशक मंडल से अपील कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी अपील स्वचालित रूप से अस्थायी निलंबन को निलंबित नहीं करेगी।

6. समाशोधन सदस्य को दी गई सुविधाओं को वापस लेना या प्रतिबंधित करना

इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग सदस्य की क्लियरिंग सुविधा सहित किसी भी सुविधा को वापस ले सकता है या प्रतिबंधित कर सकता है, या ऐसे क्लियरिंग सदस्य को ऐसी सुविधा को वापस लेने या प्रतिबंधित करने का निर्देश दे सकता है, यदि स्थिति ऐसी हो, तो इसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए लिखना। क्लियरिंग सदस्य की सुविधाओं को वापस लेने या प्रतिबंधित करने के लिए किसी सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

7. सेबी द्वारा पंजीकरण के निलंबन का प्रभाव

क्लियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी नियम, विनियम और उप-कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यदि किसी क्लियरिंग सदस्य का पंजीकरण सेबी द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो ऐसे क्लियरिंग सदस्य को उस अवधि के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन की क्लियरिंग सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा। जिसके दौरान ऐसा निलंबन लागू रहता है।

8. अनुशासनात्मक कार्रवाई एकल या सह-संयुक्त हो सकती है

निष्कासन या निलंबन, जुर्माना या जुर्माना, निंदा, चेतावनी, फटकार या किसी क्लियरिंग सदस्य के सभी या किसी क्लियरिंग सदस्यता अधिकारों को वापस लेने की अनुशासनात्मक कार्रवाई क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा अकेले या सह-संयुक्त रूप से लगाई जा सकती है।

9. दंड संरचना की विशिष्टता

क्लियरिंग कॉरपोरेशन जुर्माना लगाने के लिए दंड संरचना, किसी भी निलंबन की अवधि, विशेष क्लियरिंग सदस्यता अधिकारों की वापसी और किसी भी जुर्माना या जुर्माना, निंदा, चेतावनी, फटकार की राशि निर्दिष्ट कर सकता है जो उल्लंघन, गैर-अनुपालन पर लगाया जाएगा। , क्लियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी नियम, उपनियम या विनियमन या परिपत्र, आदेश, नोटिस, निर्देश, निर्णय या फैसले की अवज्ञा, अवहेलना या चोरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को दंड संरचना के अनुसार

जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत कर सकता है। ऊपर जैसा निर्दिष्ट किया गया है। हालाँकि, इस तरह के पूर्व-विनिर्देश अतिरिक्त या उच्च दंड लगाने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करेंगे, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों।

10. रूपान्तरण

(ए) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने विवेक से किसी क्लियरिंग सदस्य के खिलाफ की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को ऐसे नियमों और शर्तों पर कम कर सकता है या माफ कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

(बी) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या संबंधित क्लियरिंग सदस्य के आवेदन पर, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस क्लियरिंग सदस्य के खिलाफ की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है या संशोधित कर सकता है, बशर्ते कि समीक्षा के लिए आवेदन किया गया हो। समाशोधन सदस्य को निर्णय प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर दाखिल किया जाएगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अपने विवेक से, ऐसी शर्तों पर समीक्षा के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है जो वह उचित समझे, बशर्ते कि जुर्माना या जुर्माने की राशि पहले ही भुगतान कर दी गई हो या वसूल कर ली गई हो या उसे अस्वीकार कर दिया गया हो।

11. जुर्माना और जुर्माने का भुगतान करने में विफलता

यदि कोई क्लियरिंग सदस्य लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस पर लगाए गए किसी भी जुर्माने या जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निलंबित किया जा सकता है या क्लियरिंग सुविधा सहित उसकी सुविधाएं निलंबित की जा सकती हैं। जब तक वह भुगतान नहीं करता तब तक उसे वापस ले लिया जाता है या प्रतिबंधित कर दिया जाता है और यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर वह ऐसा भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। उपरोक्त कोई भी कार्रवाई करने की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियरिंग सदस्य को देय अन्य निधियों से ऐसा जुर्माना या जुर्माना राशि वसूल कर सकता है।

12. निलंबन के परिणाम

क्लियरिंग सदस्य के निलंबन के निम्नलिखित परिणाम होंगे:

(ए) क्लियरिंग सदस्यता अधिकारों का निलंबन: निलंबित क्लियरिंग सदस्य को उसके निलंबन की शर्तों के दौरान क्लियरिंग सदस्यता के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित और बाहर रखा जाएगा, लेकिन उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके निलंबन से पहले या बाद में और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को इसके किसी भी ग्राहक या लेनदार द्वारा इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का संज्ञान लेने और उस पर निर्णय लेने या उससे निपटने से रोका नहीं जाएगा।

(बी) अनुबंधों की पूर्ति: निलंबित क्लियरिंग सदस्य अपने निलंबन के समय बकाया अनुबंधों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा;

(सी) आगे व्यापार निषिद्ध है: निलंबित क्लियरिंग सदस्य अपने निलंबन की अवधि के दौरान किसी क्लियरिंग सदस्य के साथ या उसके माध्यम से कोई व्यापार नहीं करेगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा, बशर्ते कि वह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की अनुमति के साथ क्लियरिंग सदस्य के साथ या उसके माध्यम से बंद कर सकता है। इसके निलंबन के समय बकाया लेनदेन।

(डी) लेनदारों के अधिकार अप्रभावित: निलंबन उन सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो निलंबित क्लियरिंग सदस्य के लेनदार हैं।

(ई) सभी खंडों का संपार्श्विक निलंबन: क्लियरिंग सदस्य के रूप में उसकी सदस्यता अधिकार के निलंबन की अवधि के दौरान क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सभी खंडों का सदस्यता अधिकार निलंबित कर दिया जाएगा।

(एफ) क्लियरिंग अधिकारों का संपार्श्विक निलंबन: यदि किसी क्लियरिंग सदस्य के पक्ष में एकसर्चेंज का सदस्यता अधिकार निलंबित कर दिया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी, जैसा वह उचित समझे और जैसा कि उसके द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, कर सकता है।, ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान उसकी समाशोधन सदस्यता को निलंबित करने के लिए कहें।

13. निष्कासन के परिणाम

क्लियरिंग सदस्य के निष्कासन के निम्नलिखित परिणाम होंगे:

(ए) क्लियरिंग सदस्यता अधिकारों की समाप्ति: निष्कासित क्लियरिंग सदस्य की क्लियरिंग सदस्यता समाप्त हो जाएगी और ऐसा सदस्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे किसी भी क्लियरिंग सदस्य का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेबी या किसी भी ग्राहक के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा। या ऐसे समाशोधन सदस्य का लेनदार उसके निष्कासन से बना रहेगा और अप्रभावित रहेगा;

(बी) अनुबंधों की पूर्ति: निष्कासित समाशोधन सदस्य अपने निष्कासन के समय बकाया लेनदेन को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और वह समाशोधन निगम की अनुमति से समाशोधन सदस्य के साथ या उसके माध्यम से ऐसे बकाया लेनदेन को बंद कर सकता है;

(सी) डिफॉल्टर की घोषणा के बाद आने वाले परिणाम: क्लियरिंग सदस्य के निष्कासन या अनिवार्य समाप्ति के मामले में, क्रमशः डिफॉल्ट और सेटलमेंट गारंटी फंड से संबंधित उपनियमों के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि ऐसे क्लियरिंग सदस्य को घोषित कर दिया गया हो। एक डिफॉल्टर.

(डी) सभी सदस्यता से निष्कासन: निष्कासित क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सदस्य नहीं रहेगा और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की सदस्यता और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सभी खंडों और उसके सभी सदस्यता अधिकारों से निष्कासित कर दिया जाएगा। समाशोधन निगम रद्द कर दिया जाएगा।

14. लागू करने हेतु निष्कासन नियम

जब कोई क्लियरिंग सदस्य निष्कासित किए जाने के कारण या यहां ऊपर दिए गए अध्याय IV नियम 11(ए) (ii), (iii), (iv), (v), (vii) या (viii) के अनुसरण में क्लियरिंग सदस्य नहीं रह जाता है, नियम 11 में निहित प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

15. लगाए गए जुर्माने की अधिसूचना

क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अपने पूर्ण विवेक से और ऐसे तरीके से, जैसा वह उचित समझे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग सदस्यों या जनता को सूचित कर सकता है या सूचित करवा सकता है कि ऐसी अधिसूचना में नामित किसी भी व्यक्ति को निष्कासित, निलंबित कर दिया गया है।, दंडित किया गया या डिफॉल्टर घोषित किया गया या क्लियरिंग सदस्य बनना बंद कर दिया गया। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन या संचलन के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, प्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में कोई कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।
